

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर ।
पत्रांक 2430/14-1, दिनांक, बुलन्दशहर, 04/02/ 2022 ।
सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र,
मेरठ ।

विषय-
संदर्भ-

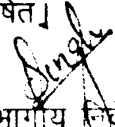
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संबंध में ।
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
लखनऊ का पत्रांक 1568/11-सी-एफ0पी0/यूपी/रोड़/144793/2021, दिनांक
22.11.2021

महोदय,

गंगा एक्सप्रेसवे के संरक्षण में बुलन्दशहर वन प्रभाग की सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

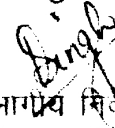
1. गंगा एक्सप्रेसवे के संरक्षण में सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर की आरक्षित या संरक्षित भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। अतः भूमि हस्तांतरण सम्बन्धी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2. गंगा एक्सप्रेसवे जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत बी0बी0नगर-लाड़पुर मार्ग से होकर गुज़रेगी, जिसमें कोई भी वृक्ष बाधक नहीं है।

गंगा एक्सप्रेसवे सम्बन्धी सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

पत्रांक 2430 /14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।